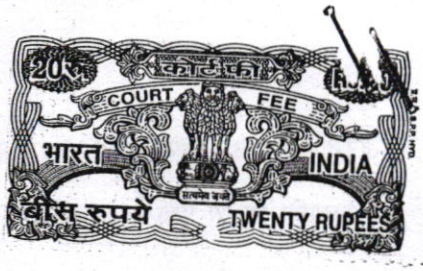

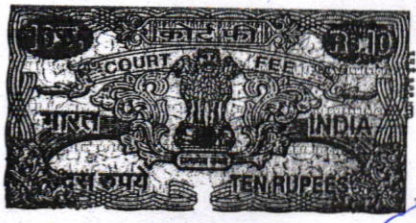

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

70

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मंडल म० प्र०— ग्वालियर (म.प्र.)

PBR/निगरानी/गुना/भू.रा/2017/4711

प्र.क्र.— /2017

श्रीमती कमलेश सूद पत्नि श्री प्रेम कुमार सूद आयु 77 वर्ष, निवासी पंजाबी मौहल्ला गुना तहसील व जिला गुना (म.प्र.) ———— आवेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 29.11.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 29.11.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
6.12.17

विरूद्ध

1—प्रदीप कुमार साहू पुत्र श्री हजारीलाल साहू आयु 39 वर्ष, निवासी ग्राम सहराई तहसील मुगांवली जिला अशोकनगर।

2—श्रीमती रमादेवी साहू पत्नि श्री कमरलाल जी साहू आयु 70 वर्ष निवासी राघौगढ़ तहसील राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.) ———— अनावेदकगण

29/11/17

.12.17

निगरानी आधीन धारा 50(2) म.प्र.भू.—राजस्व संहिता 1959, विपरीत न्यायालय तहसीलदार, परगना राघौगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 17अ—6/2015—2016 में पारित आदेश दिनांक 13—10—2017 के संबंध में।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / गुना / भू.रा. / 2017 / 4711

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–12–2017	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीदार के आदेशिका दिनांक 13–10–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदिका को अनावेदक पक्ष के साक्ष्य के समय ही प्रतिपरीक्षण किया जाना चाहिए था, जबकि एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है । आवेदिका को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उसके द्वारा लाभ नहीं लेने के कारण तहसीलदार के पूर्व आदेश दिनांक 11–5–17 से ही अवसर समाप्त किया जा चुका है । तहसीलदार का उक्त निष्कर्ष पूर्णतः उचित है । आवेदिका अपनी स्वेच्छानुसार जब चाहे तब साक्ष्यों के प्रतिपरीक्षण की मांग नहीं कर सकती । फलः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	